सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-10 शुक्रवार, दिनांक-11 मार्च, 2022 ई०।

मानीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 11:15 बजे पूर्वाह्न तक।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा लखीसराय की घटना पर आसन से दिये गये नियमन पर सरकार से वक्तव्य कराने का अनुरोध किया गया। इसके समर्थन में पक्ष एवं विपक्ष के लगभग सभी सदस्य खड़े हो गये।

आसन द्वारा कहा गया कि विधायिका की मजबूती के लिए सरकार की सहमति है और सरकार की सजगता दिखाई पड़े यह सदन की मांग है। अभी संसदीय कार्य मंत्री सदन में नहीं हैं, उनके आने के उपरान्त सरकार का उत्तर होगा। साथ ही माननीय सदस्यों से अतिमहत्वपूर्ण कार्य को चलने देने का अनुरोध किया गया।

माननीय उप मुख्यमंत्री, श्रीमती रेणु देवी द्वारा कहा गया कि डी.जी.पी. की रिपोर्ट आ गयी होगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री अभी उच्च सदन में हैं, उनके आने के पश्चात सरकार का उत्तर होगा।

परन्तु सदन के सभी माननीय सदस्यगण सरकार के उत्तर तक सदन स्थगित करने की मांग करने लगे। आसन द्वारा कहा गया कि विधायिका को कोई कमजोर नहीं कर सकता। आसन और न्यायालय द्वारा दिये गये नियमन का पालन सरकार करती है। आज 01:00 बजे अपराह्न में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक रखी गयी है जिसमें दलीय नेताओं की भी उपस्थिति रहेगी और इस विषय पर विमर्श किया जायेगा।

परन्तु सभी माननीय सदस्यगण सरकार के वक्तव्य की मांग पर अड़े रहे और वेल में आकर शोरगुल करने लगे।

आसन द्वारा बार-बार माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नकाल है इसे सुचारू रूप से चलने दें।

किन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 11:45 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

स्थगनोपरान्त

(11:45 बजे पूर्वाह्न से 12.40 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही आसन द्वारा सूचित किया गया कि आज 01:00 बजे अपराह्न में होने वाली कार्यमंत्रणा समिति की बैठक जिसमें दलीय नेता भी रहेगें, में लखीसराय से संबंधित घटना पर निर्णय लिया जायेगा।

[1] **प्रश्नकाल :-**

(i) 07 अल्पसूचित प्रश्न अनागत।

(ii) 06 तारांकित प्रश्न उत्तरित।

(iii) 158 तारांकित प्रश्न अनागत।

तारांकित प्रश्न संख्या-1435 के निस्तारण के दौरान आसन द्वारा इसे जाँच कराकर सदन को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

[2] **कार्यस्थगन प्रस्ताव :-**

माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री भूदेव चौधरी, श्री शाहनवाज, श्री चन्द्रहास चौपाल, श्री मुकेश कुमार यादव, श्री इजहारूल हुसैन, श्री महबूब आलम, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री मनोज मंजिल, श्री महा नंद सिंह, श्री अरूण सिंह, श्री रामबली सिंह यादव, श्री अजय कुमार, श्री सुदामा प्रसाद, श्री गोपाल रविदास एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा दिया गया कार्यस्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गई।

कार्यस्थगन अमान्य किये जाने के फलस्वरूप माननीय सदस्यों द्वारा अपने कार्यस्थगन के विषय को सदन में पढ़ने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया, जिसके पश्चात आसन द्वारा माननीय सदस्य श्री महबूब आलम एवं श्री समीर कुमार महासेठ को अपनी कार्यस्थगन की सूचना को संक्षिप्त रूप में पढ़ने का अवसर दिया गया।

[3] **शून्यकाल :-**

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i)	श्री चन्द्रहास चौपाल	(ii)	श्री रामविलास कामत
(iii)	श्रीमती गायत्री देवी	(iv)	श्री अरूण शंकर प्रसाद
(v)	श्रीमती भागीरथी देवी	(vi)	श्री संजय सरावगी
(vii)	श्री रामचन्द्र प्रसाद	(viii)	श्री ललन कुमार
(ix)	श्रीमती नीतु कुमारी	(x)	श्री भरत बिंद
(xi)	डॉ० निक्की हेम्ब्रम	(xii)	श्रीमती अरूणा देवी
(xiii)	श्री प्रणव कुमार	(xiv)	श्री विजय कुमार मण्डल

(माननीय सदस्य श्री मो० कामरान द्वारा जुमा की नमाज अदा करने के लिए जाने वाले माननीय सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ने के लिए प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया, जिसे सदन की सहमति से आसन द्वारा स्वीकार कर लिया गया।)

(xv)	श्री महबूब आलम	(xvi)	श्री इजहारूल हुसैन
(xvii)	श्री शाहनवाज	(xviii)	श्री मो० अनजार नईमी
(xix)	श्री मो० कामरान	(xx)	श्री शमीम अहमद

[4] **सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-**

माननीय मंत्री, उर्जा विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17; बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2014-15,

2015-16 एवं 2016-17; नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

[5] **ध्यानाकर्षण सूचनाएँ** :-

(i) माननीय सदस्य, श्री रत्नेश सादा एवं अन्य सभासदों का गृह विभाग से संबंधित तथा दिनांक 04 मार्च एवं 10 मार्च, 2022 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना अन्य विभाग से संबंधित होने के कारण माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा इसे पंचायती राज विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग से पूछे जाने का अनुरोध किया गया।

(ii) माननीय सदस्य, श्री जनक सिंह एवं अन्य सभासदों का सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित तथा दिनांक 04 मार्च एवं 10 मार्च, 2022 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा विस्तार से दिया गया।

विस्तृत उत्तर होने के कारण आसन द्वारा सभी माननीय मंत्रिगण से भविष्य में ध्यानाकर्षण सूचनाओं का उत्तर 12:00 बजे मध्याह्न तक ऑनलाइन उपलब्ध करा देने का अनुरोध किया गया, ताकि इन सूचनाओं पर ज्यादा से ज्यादा पूरक प्रश्न पूछे जा सके।

(iii) माननीय सदस्य, श्री रामबली सिंह यादव एवं अन्य सभासदों का गृह विभाग से संबंधित तथा दिनांक 08 मार्च, 2022 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा दिया गया।

सदन के सभी माननीय सदस्यगण माननीय सदस्यों के सुरक्षा गार्ड के संबंध में वर्तमान में लागू प्रावधान में संशोधन का अनुरोध किया गया, जिसके पश्चात माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा कहा गया कि यह सभी माननीय सदस्यों की भावना है, इसे दिखवा लिया जायेगा।

आसन द्वारा कहा गया कि माननीय सदस्यों की भावना का सम्मान करते हुए माननीय मंत्री इसपर सकारात्मक पहल करें।

(सदन की सहमति से आसन द्वारा सदन की अवधि कार्यवाही समाप्ति तक के लिए बढ़ाई गई।)

(iv) माननीय सदस्य, श्री महबूब आलम एवं अन्य सभासदों का समाज कल्याण विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री महबूब आलम द्वारा द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, श्री मदन सहनी द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

(v) माननीय सदस्य, श्री प्रणव कुमार एवं अन्य सभासदों का पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री प्रणव कुमार द्वारा पढ़ा गया तथा आसन द्वारा कहा गया कि इसका उत्तर अगले कार्यदिवस में माननीय मंत्री द्वारा दिया जायेगा।

इस बीच माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे द्वारा कहा गया कि यह सदन नियम और परम्परा से चलता है। यह नियम नहीं है, परन्तु स्थापित परम्परा है कि जुमा की नमाज के लिए सदन 12:30 बजे अपराह्न के पश्चात स्थगित होता रहा है। इस परम्परा को कायम रखा जाय।

आसन द्वारा कहा गया कि परम्परा और नियम समयानुकूल वातावरण और सहमति से सदन के हिसाब से बढ़ता और घटता है। जिन माननीय सदस्यों ने लिखकर दिया था कि उन्हें जुमा की नमाज के लिए जाना है, उनके अनुरोध पर उन्हें शून्यकाल की सूचना पढ़ने के लिए प्राथमिकता दी गयी है।

परन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यगण जुमा की नमाज के लिए सदन को 12:30 बजे अपराह्न के पश्चात् स्थगित करने की मांग पर अड़े रहे तथा शोरगुल करते हुए वेल में आ गए।

आसन द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने के बाद भी सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05.02 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[6] **वित्तीय कार्य** :-

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड-04 (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वित्त विभाग एवं पेंशन तथा वाणिज्य-कर विभाग)] पर वाद-विवाद एवं मतदान:-

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री राम सूरत कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

अनुदान की माँग एवं कटौती प्रस्ताव निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ० रामानुज प्रसाद
2. श्री जनक सिंह
3. श्री प्रहलाद यादव
4. श्री बिजय सिंह
5. श्री राजेश कुमार
6. श्री विजय कुमार खेमका
7. श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव
8. श्री सत्यदेव राम
9. श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद
10. श्री जीतन राम माँझी
11. श्री विनय कुमार
12. श्री ललन कुमार
13. श्री अजय कुमार
14. श्री सुर्यकान्त पासवान

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

15. श्री सुरेन्द्र राम

[7] **कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन** :-

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार ने प्रस्ताव किया कि ''आज दिनांक 11 मार्च, 2022 के कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो।''

आसन द्वारा कहा गया कि आज दिनांक 11 मार्च, 2022 के कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो, जिसमें समिति ने निम्न सिफारिशें की हैं:-

सोमवार दिनांक 21 मार्च, 2022 को सभा की बैठक नहीं हो।

सोमवार दिनांक 21 मार्च, 2022 के लिए निर्धारित कार्य यथा- प्रश्नोत्तर, वित्तीय कार्य एवं विधायी कार्य वृहस्पतिवार, दिनांक 24 मार्च, 2022 को लिए जाय।

वृहस्पतिवार, दिनांक 24 मार्च, 2022 को निर्धारित सभी कार्य यथा- प्रश्नोत्तर, वित्तीय कार्य एवं विधायी कार्य शुक्रवार दिनांक 25 मार्च, 2022 को लिए जाय।

शनिवार दिनांक 26 मार्च, 2022 को सभा की बैठक 11:00 बजे पूर्वाह्न से हो।

शुक्रवार दिनांक 25 मार्च, 2022 के लिए निर्धारित सभी कार्य यथा- प्रश्नोत्तर एवं विधायी कार्य शनिवार दिनांक 26 मार्च, 2022 को लिए जाय।

शनिवार दिनांक 26 मार्च, 2022 के लिए उपरोक्त निर्धारित कार्यो के व्यवस्थापन के उपरान्त सभा नियम-43 के तहत संवैधानिक अधिकार एवं कर्त्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने संबधी विषय पर विमर्श हो।

शेष कार्य यथावत रहेंगें ।

कार्य मंत्रणा समिति के उक्त प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हुई ।

तदुपरान्त माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा कहा गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और विशेषाधिकार समिति की बैठक जो पूर्व में हुई थी में समिति ने कई निर्णय लिए थे और निदेश भी दिये थे, उस आलोक में जो प्रतिवेदन है वह पुलिस महानिदेशक से मांगा गया है। उस आलोक में विशेषाधिकार समिति यथोचित निर्णय लेकर अग्रेतर कार्रवाई करेगी।

तत्पश्चात माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री राम सूरत कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित सरकार की योजना को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

तदुपरान्त सरकार की ओर से माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री राम सूरत कुमार ने विस्तारपूर्वक उत्तर दिया।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।

तत्पश्चात माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित अनुदानों की माँग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

[8] <u>निवेदन</u> :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 44 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे।

तदुपरान्त सभा की बैठक सोमवार, दिनांक-14 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक-11.03.2022

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।